

मूल वाद
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सु
पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.


उनवान

सुमेर बनाम रामनिवास वगै०

मुकदमा संख्या : 81/2015

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप काजला तथा प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मन् सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 17.04.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिवक्ता के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर खसरा नं. 11, 12, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 146 कुल रकबा 6.80 वाके ग्राम तोगड़ा खुर्द तहसील झुंझुनूं में स्थित कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना करें।

पचा डिक्री आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

वादी	वाद के खर्चे	प्रतिवादी
स्टाम्प अर्जी दावा	रूपया	रूपया
स्टाम्प वकालतनामा	5	2
मेहनतनामा वकील	1	
खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर	500	
बाबत इजराय हुक्मनामा		
योग	508	